



**T.N. Agrawal Teachers' Training College, Harigaon**  
 (Recognised by ERC, NCTE, Bhubneshwar, Affiliated to Aryabhata Knowledge University, Patna)  
 Sponsord by T.N. Agrawal Educational & Social Welfare Foundation , P.O.- SanyaBarhatta, Dist -  
 Bhojpur, State - Bihar, Pin Code- 802162



## 5.2. Student Progression

### 5.2.1 Placement of Students as Govt. Teacher

Sr. No	Name of the Student	Session
1	Kumari Anuradha	2010-11
2	Kumari Rita Singh	2010-11
3	Md. Ashfak	2012-13
4	Parsuram Giri	2012-13
5	Ranjit Bahadur Singh	2012-13
6	Pummy Mishra	2012-13
7	Bimmy Kumari	2013-14
8	Shakuntala Kumari	2013-14
9	Amit Kumar	2015-17
10	Bipul Kumar	2015-17
11	Laxmi Kumari	2015-17
12	Zamil Akhtar	2016-18

विद्यालय का नाम ....R.D.M+2 SCHOOL JARHANI BHOPUR

### आमंत्रण पत्र

हर्ष के साथ विद्यालय परिवार आपको (नाम).....KUMARI.....ANURADHA.....


विषय .....BOTANY..... में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने हेतु आमंत्रित

करता है। आपके सेवा से संबंधित शर्त एवं परिलब्धियाँ विभागीय संकल्प संख्या-9/बि.बि.

प.स.-09/2015-51 दिनांक 25.01.2018 के अधीन होगा।

कृपया उक्त सहमति व्यक्त करते हुए अपना योगदान अगले 07 दिनों के अन्दर देना

सुनिश्चित करेंगे।

  
 प्रधानाचार्य  
 पाठशाला प्रधानाचार्य  
 (ज.र.म. +2 स्कूल, जारहनी, भोपुर)  
 2018



बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

मध्य विद्यालय पैठानपुर

पहचान-पत्र

Name : KUMARI RITA SINGH

F/H.Name:

Degi : M.COM B.ED

D.O.B. :

D.O.J. : 03.03.2014

Mob No : 9304745856

Address : HARI JI HATA, ARANAGAR



H/M

लय:- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।  
जिला परिषद, बक्सर।


नियोजन-पत्र

फॉर्म-1363 के.एम.  
दिनांक- 04-06-15

सेवा में,

श्री. सुधी. शंजली मु० अस्पताल, पिता- अब्दुल इस्लाम  
गाँव- खंयार कौलोनी, पो०- हुमरौन, जिला- बक्सर

प्रसन्नता पूर्वक सूचित करना है कि बक्सर जिला के अन्तर्गत +2 उच्च/उत्कृष्टित उच्च विद्यालय उमरी में विषय सा० विज्ञान में जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक विभाग के रूप में नियोजित करने हेतु आपका ध्यान किया गया है। आगक नियोजन - बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तों) नियमावली 2006, 2008, (सशोधन) 2012 एवं 2014 के अनुरूप होगा। योगदान के समय सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं जैनेनिक शल्य सिविलिज (सिबिल सर्जन) का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संबंधित विद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। पत्र निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर आवंटित विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। अविद्या में जॉब के काम में गलत पाये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि अलग सहित एक मुसल वसूल की जायेगी।

  
04.6.15  
उप विकास आयुक्त  
-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद बक्सर।

Self-Declaration  
M. S. S. S.

**जिला-औरंगाबाद**  
**(नियोजन इकाई का नाम- प्रखण्ड कार्यालय)**  
**कार्यालय आदेश**

जिला प्रखण्ड प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमवली-2012 (सब-संशोधित) एवं जिला प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमवली-2012 (सब-संशोधित) के अन्तर्गत में वर्ष 2022 में राज्य के प्राथमिक शिक्षकों में विद्यमान की गई पर नियुक्ति हेतु विद्यमान एवं के विद्यमान प्राथमिक/सब विद्यालय के (जिला परशुराम/गिरि) के शिक्षक के नाम में निम्नलिखित सूची में अतिरिक्त अन्वयियों का नाम नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के नाम पर नियुक्ति पूर्ण औपचारिक होगी।  
 इस नियमवली में अतिरिक्त अन्वयियों के नाम में नियुक्ति सेवा-शर्तों की जो जो दिनों के अन्त में सूची में अतिरिक्त अन्वयियों के विद्यालय में अंतर्गत सेवा सुनिश्चित करें अन्वयियों अन्वयियों का नाम जमा करवाया हो। अतिरिक्त अन्वयियों की सूची-

क्र. सं.	अन्वयियों का नाम	जिला/पति का नाम	अन्वयी का नाम	वैध सूची क्रमांक	अनुभव वर्ग	जन्म तिथि	एड अतिरिक्त/अन्वय	अन्वयित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	परशुराम गिरि	राम अशीहगा गिरि	दक्षिण तस्नात तरनात आग्रर जजदीरापुर औजपुर	1708	BC	15-02-1978	रनातक, जेड	म. विद्यालय इन्द्रा

- संबंधित अन्वयियों विद्यालय में योगदान देना के समय सभी औपचारिक/प्रौद्योगिक प्रमाण-पत्र/अनु-पत्र BELECTED Result Card की प्रतिलिपि/प्रमाणित प्रमाणपत्र/प्रमाण शिक्षक के समय प्रस्तुत करने। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की संख्या के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिखत मांग समूह-पत्र लिखित प्रारंभ में (लिखित प्रारंभ प्रमाण पत्र/प्रमाणपत्र/प्रमाण शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपस्थित करावैगें)।
- योगदान के समय अन्वयियों को औपचारिक सत्य प्रमाणपत्र-सह-पुण्य प्रमाणपत्र पराधिकारी द्वारा निर्मित सत्यपत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अन्वयियों को प्रवेश नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण पत्र जारी/अनुपत्र/सत्य पत्रों को जमा की स्थिति में नियोजन प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति पर कर की प्रमाणी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रमाणपत्रकार नियोजन इकाई से संबंधित अन्वयियों के नियुक्ति पर का संचालन करने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेगें।
- उक्त नियमवली एवं समय-समय पर इस निर्मित अतिरिक्त नियमवली में दर्जित सेवा-शर्त संबंधित नवनिर्णय शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

आपक- 107 दिनांक- 23.02.2022

सचिव  
 नियोजन इकाई  
 महेश्वरी मोचिव  
 प्रखण्ड नियोजन इकाई  
 औरंगाबाद

- प्रतिनिधि- संबंधित नवनिर्णय शिक्षक को सूचनाएं एवं अनुपत्र/पत्र प्रेषित।  
 प्रतिनिधि- विद्यालय प्रमाणपत्रकार को सूचनाएं प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनिर्णय शिक्षक के योगदान की सूचना अतिरिक्तकारी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पराधिकारी कार्यालय को अलग रूप में देना सुनिश्चित करें।  
 प्रतिनिधि- प्रखण्ड शिक्षा पराधिकारी, कारुण को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।  
 प्रतिनिधि- जिला सूचना एवं विद्यालय पराधिकारी, औरंगाबाद को सूचनाएं प्रेषित करते हुए अनुरोध करता है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के Website पर Upload करना करेगें।  
 प्रतिनिधि- जिला शिक्षा पराधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनाएं सन्वित।

सचिव  
 नियोजन इकाई  
 महेश्वरी मोचिव  
 प्रखण्ड नियोजन इकाई  
 औरंगाबाद

कार्यालय - उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।  
जिला परिषद, बक्सर।

पत्रांक - 1341/प.प  
दिनांक - 04.06.15

नियोजन-पत्र

सेवा में,

रफ़ाजीत  
श्री/ सुश्री/ श्रीमती श्रीमती नारायण सिंह जिला विजय सिंह

ग्राम - कसपुरा पो. - बधारी तहसील सीरो

जिला - बलेश्वर (बिहार)

प्रस्तावना पूर्वक सूचित करना है कि बक्सर जिला के अन्तर्गत (2) उच्च/उत्कृष्ट उच्च विद्यालय में जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियोजित करने हेतु आपका वरदान किया गया है। आपका नियोजन बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006, 2008, (संशोधन) 2012 एवं 2014 के अन्वये होगा। योगदान के समय सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अतिरिक्त शाल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संबंधित विद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। पत्र निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर आर्सेटिड विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त में जॉब के प्रकाश में जलत पत्रे जाने पर आपकी विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित एक मुस्त बरतल की जाएगी।

उप विजय आयुक्त

वर

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, बक्सर

सूचना - उप विद्यालय आधुनिक-उच्च-मुक्त कार्यवाही कार्यविभाग  
जिला परिषद, बलरामपुर

विज्ञापन-२३

आ. अ.

की पूर्ण सेवा करने निम्न विद्यालयों के लिए शिक्षक  
पदाएँ - बलरामपुर, पो. बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर  
जिला - बलरामपुर (बिहार)

प्रस्तावित पदों के सुचारु अर्थ में कि बलरामपुर जिला के अंतर्गत उपरोक्त विद्यालयों में शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन में किया जाएगा -  
1. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
2. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
3. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
4. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
5. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
6. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
7. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
8. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
9. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।  
10. उम्मीदवारों को जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में जिला परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षक कार्यविभाग, बलरामपुर जिला परिषद, बलरामपुर, बिहार में आवेदन करना होगा।

उप विद्यालय अधिकारी  
जिला परिषद, बलरामपुर  
बिहार

अनुसूची - 3  
विद्योत्पादन इकाई का नाम - **शिवपुर**  
कार्यालय का पता

विद्योत्पादन इकाई के शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तों) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं विहार नगर प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्तों) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत 2019-20 के राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विद्योत्पादन पदों के विद्योत्पादन/प्रथम विद्यालय के (3-12) विद्योत्पादन/प्रथम शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। (अभ्यर्थी) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। (अभ्यर्थी) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। (अभ्यर्थी) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है।

योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का नाम स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	पैदा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/सहायक	पदस्थानित विद्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01.	खिमरी कुमारी सिंह	सिद्धनाथ सिंह	जगदेतनगर उनाईठ नवादा, अरर	24	URF	03.12 1989	बेसिक	प्रा० वि० कमेली

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रामाणीत छावाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्र आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष तिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को अतैनिक शत्रु धिकित्तक-सह-मुख्य धिकित्तक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण-पत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्तों संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों का प्रभावी होगा।

21/02/22  
सचिव  
(ग्राम पंचायत शिवपुर)  
प्रखण्ड-शिवपुर (भोजपुर)

आपाक 02 दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि-संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित;  
प्रतिलिपि-विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अतूक रूप से देना सुनिश्चित करने।  
प्रतिलिपि-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना कि नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

21/02/22  
सचिव  
(ग्राम पंचायत शिवपुर)  
प्रखण्ड-शिवपुर (भोजपुर)



प्रखण्ड - कोबर

जिला - सोहतास

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई का नाम शान्ति प्रखण्ड शिक्षा

**कार्यालय आदेश**

जिला पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली- 2012 (नया संशोधित) एवं जिलर नए प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली- 2012 (नया संशोधित) के अंतर्गत नै प्राथमिक/महा विद्यालय 1133125 1133125 (1-5) के शिक्षक के रूप में नए नवनियुक्तों को किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अल्पविकल्प है।

अतः यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति लोग चाहते हैं तो उन दिनों के अंदर वे पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देने की आवश्यकता उन्हें अपना अप्रत्यक्ष द्वारा स्वयं संभव हो जायेगा।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	पैदा सूची क्रमांक	आयुष्य की अवधि	जन्म तिथि	पेड केरिब/रजिस्ट्रार	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	शकुन्ता कुमारी	अशोक प्रखण्ड, सिंड	शान्ति प्रखण्ड, को. - जकोटी, शान्ति प्रखण्ड, जिला - सेहतास	121	35-31-10	1986	1133125	शान्ति प्रखण्ड

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी प्रौढशिक्षक/प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र/अप-पत्र, प्रमाणपत्र (TET) प्रमाणपत्र की स्विकृतिप्राप्तित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों जदि की संख्या के समय में कार्यपालक दफ्तराधिकारी के समक्ष लिया गया साथ-पत्र मूल में नियुक्ति पत्र प्राप्ति के समय उपलब्ध करने के परवाह ही नियुक्ति मान्य होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असेनिक शान्ति प्रखण्ड-जकोटी - मुख्य शिक्षक पदाधिकारी, द्वारा निर्मित सार्वजनिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जारी/अनार्लेपन/मलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का स्थापन करने के उपलक्ष्य ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- यदि नियमावली एवं समय-समय पर इस विहित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

आपका 20 / दिनांक 23.2.2022

प्रतिनिधि - 01 संशोधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचना एवं अनुपालना हेतु प्रेषित।

02 संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचना प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्तासरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय को अपूर्ण रूप से देना सुनिश्चित करें।

03 जिला सूचना एवं शिक्षण पदाधिकारी, सोहतास को सूचना प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि वक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

*(Handwritten Signature)*  
सचिव

नियोजन प्रखण्ड के सचिव  
शान्ति प्रखण्ड शिक्षा

प्रखण्ड - कोबर (सोहतास)

*(Handwritten Signature)*  
सचिव

नियोजन प्रखण्ड के सचिव  
शान्ति प्रखण्ड शिक्षा

प्रखण्ड - कोबर (सोहतास)

कार्यालय- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तारापुर ।

-सह-

सचिव, प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, तारापुर ।

कार्यालय आदेश

लघु सं.

श्री/श्रीमती/शुद्धी अमित कुमार  
 पति/पति अजय प्रसाद  
 गान शाहीनगर रोड नं 4 को. मुंगेर घाना  
 जिला मुंगेर राज्य बिहार पिन कोड. 811201

प्रमन्नतापूर्वक सूचित किया जाता है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 808 दिनांक 20.05.2014 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर के पत्रांक 498 दिनांक 09.06.2014 के आशोक में मांचडे एवं अंतिम समन्वयकार हेतु अवशेष मेधा सूची के आधार पर जिला स्तरीय लेवल के दिनांक 16-07-14 को आपका चयन कक्षा-(4-5)/(6-8) विषय अंग्रेजी  
~~उच्च/~~ अग्रशिक्षित रोस्टर बिन्दु 63 कोटि UR  
 शिक्षक य में, निम्न वेतन पर माध्य विद्यालय पटवारा  
 प्रखण्ड-तारापुर, जिला मुंगेर में प्रखण्ड शिक्षक पद पर किया गया है।

आपका नियोजन बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा कर्मी) नियमावली 2012 के शर्तों के अधीन होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार हो तो कृपया जल्द से जल्द प्राथमिक/द्वितीयक TET प्रमाण पत्र, जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल एवं दो-दो छाया प्रमाण पत्रों के साथ कोटि 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी कक्षा के लिए आवंटित विद्यालय में पत्र निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर संबंधित प्रधानाध्यापक को अपना योगदान दें। अन्यथा आपका दावा समाप्त हो जाएगा। प्रमाण पत्रों के जांच होने तक नियोजन औपबधिक माना जाएगा। जांच के दौरान संस्थान के अमान्य पाए जाने पर संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की मान्यता नहीं होने अथवा प्रमाण पत्र फर्जी होने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी।

मुंगेर  
 16-07-14

इस/  
 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तारापुर  
 -सह-

सचिव प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई तारापुर ।

पत्रांक कैम्प 01 / दिनांक - 16-07-14

प्रतिष्ठिति- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर/ जिला कार्यपालक पदाधिकारी (स्थापना), मुंगेर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याधि देवित। प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि मूल प्रमाण पत्र का स्वच्छप्रमाणित छाया प्रति से मिलान कर योगदान लेना सुनिश्चित करेगा। सभी प्रमाण पत्रों एवं नियोजन पत्रों की एक-एक स्वच्छप्रमाणित छाया प्रति को स्वच्छप्रमाणित कर आन्तर माहल में तथा योगदान की सूचना पत्र निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर अधीक्षक/शरी को उपलब्ध करावेगी।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तारापुर  
 -सह-

सचिव प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई तारापुर ।

कार्यालय का नाम- भोजपुर

अनुसूची-3

नियोजन ईकाई का नाम- 4518115

कार्यालय आदेश

बिहार संघायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012(यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के(6-8 ) (अभि/विद्यार्थी)के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति होना चाहते हो तो 30 दिनों के अंदर ये सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	गया सूची क्रमांक	आस्थापन कोटि	जन्म तिथि	ग्रैंड रैंकिंग/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06	07	08	09
19	गिणुका कुमारी	जैम प्रकाश प्रसाद	हाटपैपर जबालपुर	2625	SC	27.01.1988	केंद्रीय अभिलेख/विद्यार्थी	कुशा मन्वी मैरही

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय दैनिक/प्रारंभिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र/BETET/CTET Result Card की स्वयंनिष्पन्नाता छापावृत्ति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्र आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दम्बाधिकारी के समक्ष लिया गया सत्य-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्राकृत संलग्न)प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असीमित हस्त चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण-पत्र जाली/अन्यलेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन ईकाई से संबंधित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निम्न लिखित अधिसूचित नियमावली में दर्जित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों का प्रभावी होगा।

आपंक 67 दिनांक 15-03-22

प्रतिनिधि-संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि-विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनाएं प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधीनस्थकारी कार्यालय एवं प्रबंध शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अपूर्ण रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिनिधि-शिक्षा सूचना एवं शिक्षण पदाधिकारी भोजपुर को सूचनाएं प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव

नियोजन

अनुसूची (3)

जिला - भोजपुर

नियोजन इकाई का नाम - ग्राम पंचायत नैकनाम टोल

## कार्यालय - आदेश

विद्यार्थी नैकनाम प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (नया संशोधन) एवं विद्यार्थी नैकनाम प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (नया संशोधन) के अन्तर्गत में वर्ष 2019 - 20 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की पद पर नियुक्ति विद्यार्थी नैकनाम प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के (समान्य) के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के अन्तर्गत में अर्जित अम्बुधियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक की पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अनिवार्य होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अर्जित अम्बुधियों, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने की को 30 दिनों के अन्दर के सूची में अर्जित पदस्थापन के विधान में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा अर्जित अम्बुधियों का चयन नहीं सम्भव हो सकेगा।

अर्जित अम्बुधियों की सूची -

क्रम क्रम	अम्बुधी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थाई पता	वेतन सूची क्रमांक	आवृत्त वर्ग	जन्म तिथि	पद अर्जित /अन्तर्गत	पदस्थापन विधान का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सखी कुमारी	लाल बानु सिंह	ग्राम - लोखी पो - लोखी बरहटा बाना - जयदीपापुर जिला - भोजपुर, पिन को - 802162	260	BC	20.01.1994	ईशिक	नया प्राथमिक विद्यालय नैकनाम जयदीपापुर बरहटा

- (1) संबंधित अम्बुधी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रौद्योगिक प्रमाण पत्र/उक्त पत्र BETET /CTET Result Card की स्वअभिप्रेक्षित छाया प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करनी। साथ ही प्रमाण पत्र आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष निम्न पत्र प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेगी।
- (2) योगदान के समय अम्बुधियों की अतीतिक शाला चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (3) योगदान के समय अम्बुधियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (4) प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्यवाई कि जाएगी।
- (5) संबंधित विद्यालय की प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक नियोजन इकाई से संबंधित अम्बुधी से नियुक्ति पत्र का सन्वयन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- (6) उक्त नियमावली एवं समय -समय पर इस निमित्त अभिसूचित नियमावली में उचित होना वाले संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम - ग्राम पंचायत नैकनाम टोल)

आपांक-

01

दिनांक- 23.08.2022

प्रतिस्तिपि - (1) संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचना एवं अनुमानार्थ प्रेषित।

प्रतिस्तिपि - (2) विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचना प्रेषित करते हुए सहज है कि नवनियुक्त शिक्षक को योगदान की सूचना अधोहरताक्षरी कार्यालय एवं प्रमुख शिक्षक पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिस्तिपि - (3) जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरा भोजपुर को सूचना प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर अपलोड करना भावेगी।

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम - ग्राम पंचायत नैकनाम टोल)

अनुसूची - 3  
(जिला भोजपुर)  
(पंचायत नियोजन इकाई, जमुआँब संदेस भोजपुर)  
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एच सेवा - शर्त) नियमावली -2012 (पन्ना संशोधित) एवं बिहार नगर प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एच सेवा - शर्त) नियमावली -2012(पन्ना संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विद्यमान पदों के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय के (वर्ग 1-5) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का घटान नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर वह नियुक्त पूर्णतः औपबन्धिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

संबन्धित अभ्यर्थियों की सूची-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्वादी पता	वेदा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जमील अख्तर	मन्तर हुसैन	ग्राम-बहोत पो-शिवपुर बाना-गढहनी जिला-भोजपुर पिन-832213	12	UR	11/11/1994	बेसिक	New School Jamuaon Mahto Tola

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अत्र -पत्र BETET/CIET Result Card की स्कैनप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्र आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दम्बधिकारी के समक्ष लिखा गया शपथ -पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे।

29/02/2022  
राजेश्वर नरैन अग्रवाल  
प्रधानाध्यापक  
जिला भोजपुर

*Rahul*  
Principal  
Tarkeshwar Narain Agrawal  
Teachers' Training College  
Harigaon, Ara